न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4177–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–09–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण कमांक 56/अपील/2012–2013.

....

राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा तनय श्री रामनिवास विश्वकर्मा,
निवासी ग्राम पिपरिया वृत्त–डभौरा, तहसील जबा, जिला रीवा (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

अवधराज कुशवाह तनय मितई कुशवाह
निवासी ग्राम–पिपरिया, वृत्त डभौरा तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)

...........अनावेदक

....

श्री भास्कर पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.11.15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 4177–तीन/13 राजस्व मण्डल के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा). की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के द्वारा उनके प्रकरण कमांक 56/अपील/2012–2013. में पारित आदेश दिनांक 16–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक अवधराज द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक–2.9.05 को ग्राम पंचायत चौखण्डी जनपद पंचायत जवा के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वे कमांक–131/3 रकवा 0.34 ए. पर से अतिक्रमण हटवाया जाकर आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया । इस आवेदन पर से ग्राम न्यायालय द्वारा अपने प्र0कमांक–132/2005 में पारित आदेश दिनांक–22.12.05 से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत ग्राम पिपरिया की भूमि सर्वे कमांक 131/3 से आवेदक राजेन्द्र प्रसाद को बेदखल कर अनावेदक अवधराज को कब्जा सौपने का आदेश पारित किया गया । ग्राम न्यायालय क इस आदेश दिनांक–22.12.05 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी त्योथर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक–42/अ–70/06–07 में पारित आदेश दिनांक–01.10.2012 से अपील स्वीकार की जाकर ग्राम न्यायालय का आदेश दिनांक–22. 12.05 निरस्त करते हुए प्रकरण में विवादित सर्वे कमांक–131/3 सहित सर्वे कमांक–131 के सम्पूर्ण बटा नम्बरों की एक साथ पैमाइश कर उनका रकबा सुनिश्चित कर, तदनुसार बेदखली की कार्यवाही की जाने के आदेश प्रसारित किए । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अवधराज, जो इस प्रकरण में अनावेदक है, के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर प्रकरण कमांक–56/अपील/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक–16.09.2013 से अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी कि खसरा नं0 131 का नया नम्बर 131/5 बाद में परिवर्तित किया गया है, किन्तु नम्बर बदलने से मौके की चौहदी नहीं बदली है । यह आधार लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–01.10.2012 को निरस्त करते हुए ग्राम न्यायालय के आदेश दिनांक–22.12.05 को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

प्रकरण में मुख्य विवाद सर्वे क्रमांक–131 के कई बटा नम्बर हो जाने से उन बटा नम्बरों में से 131/3 एवं 131/5 जो इस प्रकरण में विवादित है, के आवेदक एवं अनावेदक के नाम परिवर्तित होकर भूल से अंकित हो जाने के कारण है ।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये हैं, उनके द्वारा अपने मौखिक समक्ष में प्रस्तुत तर्को में बताया गया कि ग्राम पिपरिया तहसील जवा की भूमि सर्वे क्रमांक–131/3 रकवा 0.71 ए. के भूमि स्वामी अपीलार्थीगण है । यह भूमि बटनवारा में सन् 1986 में अपीलार्थी की दादी एवं माता को प्राप्त हुई थी । बटनवारा में प्राप्त उक्त भूमि पर आवेदक के पूर्वज सुखरनिया ने नामांतरण अपने नाम करा लिया था, तथा इस सर्वे क्रमांक–131/3 पर अपना मकान भी बना लिया था तथा आज भी उसी स्थान पर बने मकान में आवेदक जो सुखरनिया के वारिस है, निवास कर रहे है । उक्त स्थिति के संबंध में स्वत्व संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजी अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन अभिलेखों पर गौर न करते हुए प्रस्तुत तर्को पर भी विचार नहीं किया गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि क्रमांक–131/2 का बिना सीमांकन कराये बेदखली का प्रकरण ग्राम न्यायालय चौखण्डी के समक्ष प्रस्तुत कर बिना सूचना के तथा बिना उद्घोषणा जारी किए तथा सूचना पत्रों पर फर्जी तामीली के हस्ताक्षर दर्शा कर ग्राम न्यायालय से दिनांक–22.12.2005 को बेदखली का आदेश पारित करा दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो समयावधि के बिन्दु पर निरस्त की गयी, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील की गयी, जहां पर अपील स्वीकार की जाकर समयावधि के बिन्दु को स्वीकार करते हुए प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय देते हुए आदेश पारित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया कि सर्वे क्रमांक–131/3 आवेदक निगराकार की है, तथा 131/2 गैर निगराकार की भूमि है, किन्तु गैर निगराकार द्वारा अपनी भूमि क्रमांक–131/2 को उमाशंकर तनय जगन्नाथ को विक्रय कर दिया गया है जिसका वर्तमान में बटा नम्बर 131/4 है । इसी 131/2 में से कुछ भूमि अनावेदक द्वारा अपने पुत्र देवेन्द्र कुमार के नाम ट्रान्सफर कर दी गयी है जिसका बटा नम्बर 131/5 है । इस प्रकार 131/3 को छोड़कर उक्त सभी शेष बटा नम्बर अनावेदक के हैं । जिनकी सही ढंग से पैमाइश न कराते हुए बिना पर्याप्त आधार और सही अभिलेख के एवं त्रुटिपूर्ण अभिलेख एवं नक्शे के आधार पर बेदखली का दावा पेश कर बेदखली की कार्यवाही करायी जा रही है जो अनुचित होकर निरस्त किए जाने योग्य है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य

रूप से अपने तर्क में यह कहा गया है, कि सर्वे कमांक–131 में कई बटानम्बर होकर सर्वेक्षण संख्यांक निर्मित हुए है, एवं सभी बटा नम्बरों की चौहदी अलग–अलग होकर रकबा भी अलग–अलग है। इस कारण समस्त काश्तकारों एवं भूमि धारकों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में सर्वे कमांक–131 के समस्त बटा नम्बरों का सीमांकन अभिलेख के आधार पर किया जाना आवश्यक था । तत्पश्चात मुताबिक सीमांकन कार्यवाही बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। ऐसा न कर अनावेदक द्वारा साफ सुथरी कार्यवाही न करते हुए सर्वे कमांक–131/5 का सीमांकन कराया जाकर 131/3 से बेदखली का आदेश ग्राम न्यायालय से कराया गया है जो उचित न होकर निरस्ती योग्य है । आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि यदि 131/3 को यदि अनावेदक की भूमि मान लिया जाता है तो निगरानीकर्ता आवेदक की भूमि तो गायब ही हो जावेगी । जबकि वास्तविकता यह है कि 131/2, 131/4, 131/5 अनावेदक की भूमि है तथा 131/3 आवेदक की भूमि है । वर्ष 1999–2000 के दौरान गलती से सर्वे कमांक–131/3 अनावेदक के नाम एवं 131/5 आवेदक के नाम दर्ज हो गया था जिसे सुधरवाए जाने हेतु आवेदन जब नायब तहसीलदार को दिया गया तो, इस प्रकार की हुई त्रुटि को सुधार किया जाकर पुनः सर्वे कमांक 131/3 आवेदक के नाम एवं 131/5 अनावेदक के नाम नायब तहसीलदार के प्र.क. 38/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक–26.8.2006 से गलत इन्द्राज सुधार कर पूर्व अभिलेख अनुसार दर्ज किया गया । अनावेदक इस त्रुटि का लाभ उठाकर 131/3 को अपनी भूमि बताने लगा तथा बेदखली का आदेश पारित करा दिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों तथा प्रकरण में विद्यमान दोष को बिना समझे अनुचित आदेश पारित कर निरस्त गरने में गम्भीर न्यायिक भूल की गयी है । उक्त तर्कों के अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में अंकित है, जिन्हें यहां दुहराया नहीं गया है किन्तु उन्हें विचार में लिया जावेगा । इन आधारों पर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि सर्वे कमांक–131/3 रकबा 0.34 ए0 का अनावेदक भूमि स्वामी है, जिसके 0.10 ए0 पर आवेदक का कब्जा है, जिसे हटाए जाने हेतु ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक–22.12.2005 को जो बेदखली का आदेश दिया गया है वह उचित है । अनावेदक अभि0 द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि सर्वे कमांक–131/3 की भूमि गैर निगराकार के नाम राजेन्द्र प्रसाद की सहमति से की गयी थी जिस पर आवेदक राजेन्द्र प्रसाद का कब्जा था। यह भी बताया गया कि ग्राम न्यायालय के

आदेश दिनांक–22.12.2005 के बाद आवेदक निगरानीकर्ता राजेन्द्र ने बड़ी चतुराई से भ्रमित करने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन के आदेश दिनांक–26.8.2006 से सर्वे कमांक 131/3, पहले जो अनावेदक के नाम था, का बटा नम्बर परिवर्तित करा कर (131/3 को) 131/5 करा लिया तथा 131/3 को आवेदक राजेन्द्र ने अपने नाम दर्ज अभिलेख भी करा लिया । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त सर्वे कमांक बदलने से स्थान एवं चौहदी नहीं बदली। आगे यह कहा गया कि भूमि का बटा नम्बर बदलने से गैर निगराकार के वर्तमान परिवर्तित भूमि नं. 131/5 के रकबा 0.34 ए0 के अंश भाग पर आवेदक द्वारा किए गये कब्जे से बेदखल करने हेतु नायब तहसीलदार डभौरा द्वारा दिनांक–29.09.2006 को आदेश पारित कर दिया गया था जिसका हवाला अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लिया गया है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक–29.09.2006 जो बेदखली का है (आवेदक को बेदखल करने से संबंधित है) उसकी कोई अपील भी नहीं की गयी है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का आदेश अंतिम हो जाता है । इसे भी आधार मान कर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर ग्राम न्यायालय के आदेश को सही ठहराया गया है जो उचित है जिसे कायम रखे जाने का निवेदन करते हुए निगरानी अमान्य करने का अनुरोध किया गया ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के पश्चात एवं प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । खसरा वर्ष 1984–85 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि नायब तहसीलदार द्वारा ना.पं. कमांक–11 दिनांक–29.08.86 पर किए गये बटवारे के अनुसार विवादित सर्वे कमांक–131/3 रकबा 0.71 ए. पर राजेन्द्र प्रसाद के पूर्वज सुखरनिया एवं स्वयं राजेन्द्र प्रसाद का नाम प्रदर्शित हो रहा है । खसरा वर्ष 1994–95 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सर्वे कमांक–131/3 रकवा 0.71 ए. पर आवेदक की पूर्वज सुखरनिया का नाम दर्ज है तथा 131/2 रकबा 0.71 ए. पर अवधराज जो अनावेदक है का नाम दर्ज होना प्रदर्शित हो रहा है । सर्वे कमांक–131/1 रकबा 0.09 ए. पर बृजमोहन का नाम अंकित है । इसी प्रकार वर्ष 1999–2000 की खसरा नकल देखने पर यह पाया गया कि सर्वे कमांक–131/3 रकवा 0.34 ए. पर अवधराज का नाम अंकित हो गया, सर्वे कमांक–131/5 रकवा 0.71 ए. पर सुखरनिया, धर्मेन्द्र, राजेन्द्र आदि का नाम अंकित होना पाया गया, तथा सर्वे कमांक–131/4 रकबा 0.03 ए. पर उमाशंकर का नाम अंकित होना पाया गया । (यह रकबा अवधराज द्वारा उमाशंकर को बेचा गया है, जैसा कि तर्को में आवेदक द्वारा बताया गया है) । इसी प्रकार वर्ष 2004–05 की खसरा नकलों के अवलोकन करने पर पाया गया कि सर्वे कमांक–131/3 रकबा 0.34 ए. पर अवधराज का नाम अंकित हो गया तथा

सर्वे कमांक–131/5 रकवा 0.71 ए. पर सुखरनिया, राजेन्द्र आदि का नाम अंकित होना पाया गया । उक्त सर्वे कमांक– 131/3 रकबा 0.71 ए. पर हुए नाम परिवर्तन तथा रकबा परिवर्तन को नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्र0 कमांक– 38/ अ–6/2005–2006 पारित आदेश दिनांक–26.08.2006 से उक्त हुई त्रुटि को सुधार कर पूर्ववत 131/3 रकबा 0.71 ए. पर राजेन्द्र , धर्मेन्द्र आदि का नाम दर्ज करने तथा सर्वे कमांक–131/5 रकवा 0.34 ए. पर अवधराज का नाम यथावत् रखने के आदेश दिए जाना अभिलख से प्रमाणित है । इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है ।

उपरोक्त अभिलेखीय प्रमाण से यह प्रकट हो रहा है कि सर्वे कमांक–131 के कई बटा नम्बर हुए है तथा उक्त हुए बटा नम्बरों पर अंकित भूमि स्वामियों के रकबे एवं सर्वेक्षण संख्यांक वर्ष 1999–2000 में गलत तरीके से एक दूसरे के रकबे एवं सर्वे नम्बरों पर (यानी राजेन्द्र आवेदक के 131/3 रकवा 0.71 ए. पर अनावेदक अवधराज का एवं अनावेदक अवधराज के सर्वे कमांक–131/5 रकवा 0.34 ए. पर राजेन्द्र आवेदक का नाम) अंकित होने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गयी। वहीं उक्त दोनों सर्वे कमांक–131/3 एवं 131/5 के रकबों में भी बदलाव होकर 131/3 का रकबा 0.71 ए के स्थान पर 0.34 ए. तथा 131/5 का रकबा 0.34 ए. के स्थान पर 0.71 ए. कर दिया गया । जिसका सुधार भी बाद में नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक–26.08.06 से किया गया जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अनावेदक उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को आधार मानकर बेदखली की कार्यवाही करा रहा है जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा उक्त अभिलेखीय आधारों का बिना परीक्षण किए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष उक्त वर्णित अभिलेखीय आधार प्रस्तुत किए गये थे। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अभि0 द्वारा जोर देते हुए यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अभिलेख का परिशीलन किए एवं बिना उसे समझे यह अंकित करते हुए कि "तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक–29.09.2006 का पालन नहीं कराया गया जिसके विरूद्ध कोई अपील भी नहीं हुई है, तथा खसरा नम्बर 131 का नया नम्बर 131/5 बाद में परिवर्तित कर किया गया है नम्बर बदलने से मौके की स्थिति नहीं बदली है," अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक–01.10.2012 निरस्त किया गया है, जबकि अपर आयुक्त को आदेश जारी करने से पहले यह भी देखना चाहिए था कि अभिलेखों में हुई त्रुटियों से सिर्फ नम्बर ही नहीं बदले थे बल्कि नम्बरों के साथ–साथ रकबे भी बदल गये थे, जिसकी ऊपर विवेचना की गयी है । उनके द्वारा उपरोक्त टीप लिखते समय एवं आदेश का आधार बनाते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि तहसीलदार का आदेश दिनांक–29.09.2006 ग्राम न्यायालय के आदेश के पालन

में अनावेदक को बेदखल करने हेतु दिया गया था । यहां यह तथ्य गौर करने लायक है कि जब ग्राम न्यायालय का आदेश दिनांक–22.12.2005 ही चुनौती युक्त होकर आक्षेपित हो गया तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक–01.10.2012 से उक्त ग्राम न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया, तब बेदखली का आदेश दिनांक–29.09.2006 किस प्रकार प्रभाव में रह सकता है । अतः यह स्वतः ही प्रभावहीन हो गया ।

प्रकरण में उत्पन्न एवं विद्यमान परिस्थितियों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक–01.10.2012 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्षो में यह अंकित किया गया है कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि खसरा कमांक–131 के कई बटा नम्बर हुए हैं, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक–9.10.05 में यह अंकित नहीं किया गया है कि अतिकमित रकबा किस सर्वे नम्बर का है तथा उसका रकबा कितना कम है । इस प्रकार मात्र 131/5 का सीमांकन कराया जाकर 131/3 से बेदखली का आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश है । इस विवादित सर्वे नम्बर के कई बटे नम्बर हुए है जिसके अनुसार स्थल पर लोग काबिज होंगे । ऐसी स्थिति में निष्कर्ष पर पहुंचने एवं सहज न्याय की दृष्टि से 131 के सभी बटा नम्बरों का सीमांकन किया जाकर सही स्थिति ज्ञात करने के पश्चात आगामी कार्यवाही किए जाने का आदेश देते हुए ग्राम न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण पैमाइश के आधार पर होने से निरस्त किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है । इस संबंध में न्यायिक सिद्धांत (रामेश्वर प्रसाद वि बैजनाथ 1968,रा.नि.249) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अधिकमित भूमि की पहचान स्पष्ट देना चाहिए, सीमाक्षेत्र स्पष्ट करना चाहिए । इसी प्रकार (कौशल्या बाई वि. दुर्गाप्रसाद अवस्थी 1968, रा.नि. 342–खसरा एण्ट्री) में भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि–खसरा एण्ट्रीज–खण्डन साक्ष्य भी विचार योग्य है–क्योंकि कानून में एन्ट्री की सही होने की उपधारणा खण्डनीय है–खण्डन साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकेगी । इसी प्रकार (हरपाल सिह वि. सोजू 1971 रा.नि. 504) में भी यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि–धारा 250–राजस्व न्यायालयों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि विवादित भूमि को विनिर्दिष्ट होना चाहिए, चाहे मामला, नामांतरण का हो, अथवा विभाजन का हो, अथवा अतिकमण का हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–16.09.2013 एवं ग्राम न्यायालय का आदेश दिनांक–22.12.2005 विधि के प्रकाश में अनुचित एवं नैसर्गिक तथा सहज न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जिस कारण से उन्हें निरस्त किया जाता है, तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक–01.10.2012 स्थिर रखा जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया

जाता है कि उक्त विवादित सर्वे नम्बरों के संबंध में उभयपक्षों को एवं सर्वसंबधित हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में पटवारी अभिलेख में अंकित रकबा तथा नक्शे में अंकित स्थिति के आधार पर, आगामी कार्यवाही करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें, ताकि विवादित सर्वे कमांकों की सही स्थिति ज्ञात हो सके एवं पीड़ित पक्षकारों को न्याय मिल सके। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर